मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. /22/वि–9/आर.जी.एम./2006 भोपाल, दिनांक : /03/2006

आदेश क्र. 23 / जलग्रहण क्षेत्र विकास

प्रति,

1. **कलेक्टर (समस्त)**
   मध्यप्रदेश
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत – समस्त (म.प्र.)
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जनपद पंचायत (समस्त)
4. **परियोजना अधिकारी,**
   मिली वाटरशेड (समस्त

विषयः जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में।

1. पृष्ठभूमि :

1.1 राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत जलग्रहण परियोजनाओं का क्रियान्वयन गाँव के समेकित विकास की आवधारणा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिसके अंतर्गत मिट्टी एवं पानी के उपचार के साथ–साथ स्वाबलम्बन दलों एवं महिलाओं को आयमूलक गतिविधियों से जोड़कर उनके लिए आजीविका के अवसर सृजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त गाँव के सामाजिक विकास को भी योजना का अनिवार्य अंग बनाया गया है। कार्यक्रम का सामान्य उद्देश्य पर्यावरण सुधार, जल प्रबंधन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, सूखे की विभीषिका को कम करने के साथ–साथ रोजगार एवं गरीब व्यक्तियों के लिए जीवनयापन के स्थायी अवसर पैदा करना है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि कार्यक्रम का स्वरूप समन्वित विकास की अवधारणा पर आधारित है।

1.2 उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का परिणाममूलक क्रियान्वयन तभी सम्भव हो सकता है, जब सभी तकनीकी, सामाजिक, संस्थागत एवं आर्थिक पहलुओं को समेकित कर विकास किया जाये। सामान्यतः जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना की सफलता का आकलन पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त करने से किया जाता है। परन्तु कार्यक्रम के विभिन्न घटक जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं तथा जिनका संबंध कार्यक्रम की अवधारणा, प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन से होता है, उनका परिणामों एवं प्रभावों तक पहुँचने में काफी अहम भूमिका होता है। इन साधनों एवं प्रक्रिया की सार्थकता तभी हो सकती है, जब इन्हें अपनाने से कार्यक्रम के तहत पूर्व निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं सांकेतकों की प्राप्ति हो। इन साधनों एवं प्रक्रिया के मूल्यांकन से इनकी उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिनका समय रहते परियोजना के अंतर्गत सुधार किया जा सकता है।

2. सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता

2.1 वर्तमान में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में परियोजना के 45 प्रतिशत परियोजना राशि व्यय होने पर मध्यावधि मूल्यांकन तथा परियोजना समाप्ति पर अंतिम मूल्यांकन बाह्य संस्था से कराये जाने का प्रावधान है। जलग्रहण परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक संगठन, आयोजना, प्रशिक्षण, क्षमता विकास आदि ऐसी गतिविधियाँ है, जो परियोजना की प्रथम 1–2 वर्षों में सम्पादित किये जाते हैं एवं इनका परियोजना के क्रियान्वयन में अह्म भूमिका होती है। इसलिए यदि मध्यावधि मूल्यांकन में इनसे संबंधित किन्हीं कमियों/कमजोरियों को उजागर किया जाता है तो उनका निराकरण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता है, क्योंकि तब तक परियोजना के लगभग 2.5 – 3 वर्ष समाप्त हो चुके होते हैं।

2.2 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के सतत मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में विभिन्न घटकों का अलग महत्व होता है एवं यदि इनका उस चरण में सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है तो कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाता है तथा कार्यक्रम के अगले चरणों में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः परियोजना के क्रियान्वयन में यदि सामुदायिक संगठन, गतिविधियों के स्थल चयन, गतिविधियों की गुणवत्ता, अपनाई गई तकनीकी मानदण्डों आदि के संबंध में कोई कमी पाई जाती है तो समवर्ती मूल्यांकन एवं फीडबैक प्रणाली से उनका समय रहते निराकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में यद्यपि जिलों को प्रकाश में आई कमियों/कमजोरियों के संबंध में अवगत कराया जाता है, परन्तु इनका निराकरण किस प्रकार किया जाये। इस संबंध में मार्गदर्शन / सहयोग प्रदाय नहीं किया जाता है तथा इन कमियों के निराकरण का पर्यवेक्षण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है।

2.3 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत मध्यावधि एवं अंतिम मूल्यांकन के साथ–साथ परियोजनाओं के सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार प्रणाली अपनाया जाना है।

3. राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली :

3.1 स्टेट क्वालिटी मानीटरिंग प्रणाली (State Quality Monitoring)

- राज्य स्तर पर जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, सामुदायिक संगठन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों का पैनल तैयार किया गया है, जिसका अनुमोदन भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू संसाधन विभाग द्वारा किया गया है।
- राज्य स्तर पर गठित अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों के पैनल में से विभिन्न अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं को मूल्यांकन हेतु अलग–अलग जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाएँ आवंटित की जायेंगी। यह आवंटन मिशन मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।
- वर्तमान में हरियाली गाईडलाईन के अनुरूप स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं को ही इस मूल्यांकन प्रणाली के तहत लिया जायेगा।

3.1.1 मूल्यांकन की अवधि :

- इस मूल्यांकन प्रणाली के तहत अशासकीय /स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवंटित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का प्रत्येक 06 माह में एक बार समवर्ती मूल्यांकन किया जायेगा। इस मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकनकर्ता संस्था द्वारा जलग्रहण परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही कमियों / कमजोरियों की पहचान कर परियोजना क्रियान्वयन दल को अवगत कराया जायेगा। मूल्यांकन के उपरांत परिलक्षित हुई कमियों/कमजोरियों के निराकरण हेतु परियोजना क्रियान्वयन दल को मूल्यांकनकर्ता संस्था द्वारा मार्गदर्शन भी प्रदत्त किया जायेगा। इसके उपरांत 06 माह बाद किये जाने वाले आगामी मूल्यांकन में विगत मूल्यांकन की कमियों के निराकरण हेतु उठाये गये कदमों के संबंध में भी विश्लेषण किया जायेगा।
- प्रत्येक अशासकीय /स्वयंसेवी संस्था द्वारा जिले के अंतर्गत आवंटित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का पहली बार फरवरी–मार्च के माह में मूल्यांकन किया जायेगा तथा दूसरी बार सितम्बर–अक्टूबर के माह में मूल्यांकन किया जायेगा।

- **<u>फरवरी–मार्च के माह में किये जाने वाले मूल्यांकन को वार्षिक मूल्यांकन भी माना जायेगा, जिसके तहत अशासकीय/स्वयंसेवी संस्था को मूल्यांकन के उपरांत वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाना होगा।</u>**

3.1.2 मूल्यांकन के सांकेतक :

- राज्य स्तर से किये जाने वाले समवर्ती मूल्यांकन एवं सहयोग प्रणाली में निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में मूल्यांकन किया जायेगा।
    - माइक्रोवाटरशेडों का निर्धारण
    - एल.एफ.ए. आधारित कार्य योजना
    - दलों का गठन एवं चयनित गतिविधियों से इनका जुड़ाव
    - उपयोगकर्ता दलों में संसाधनहीन ग्रामीणों की क्रियाशीलता
    - विस्तारित पानी रोको समिति का गठन व क्रियाशीलता
    - स्वावलंबन दलों की गतिविधियों का क्रियान्वयन
    - जलग्रहण क्षेत्र विकास गतिविधियों का स्थल चयन
    - संपादित किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता तथा तकनीकी मानदण्डों का अनुपालन
    - निर्मित संरचनाओं तथा परिसम्पत्तियों का रख रखाव
    - निर्मित संरचनाओं व परिसम्पत्तियों की लागत का भौतिक सत्यापन
    - लाभों का वितरण
    - ग्राम पंचायत की क्रियाशीलता
    - रिकार्ड व रजिस्टर का संधारण
    - लक्ष्य अनुरूप भौतिक व वित्तीय प्रगति

- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का स्वरूप ऐसा है कि इसमें क्रियान्वयन के प्रत्येक वर्ष एवं प्रत्येक चरण में अलग–अलग बिन्दुओं का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष में कार्ययोजना निर्माण, सामुदायिक संगठन, प्रशिक्षण, क्षमता विकास आदि पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जबकि आगामी वर्षों में सम्पादित जल संरक्षण व संवर्धन गतिविधियों की गुणवत्ता, तकनीकी मानदण्ड आदि का ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार परियोजना के अंतिम वर्ष में निर्मित परिसम्पत्तियों/संरचनाओं के रखरखाव, समाज को परियोजना का हस्तांतरण आदि मुद्दों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अतः जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं सहयोग प्रणाली के अंतर्गत परियोजना के विभिन्न चरणों /वर्षों में जिन बिन्दुओं का मूल्यांकन किया जायेगा, उनका विवरण अनुलग्नक – दो पर दिया गया है।

3.1.3 मूल्यांकन कार्य हेतु भुगतान :

- स्टेट क्वालिटी मानीटरिंग के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता संस्था/व्यक्ति को प्रत्येक मूल्यांकन हेतु रुपये 1000 प्रति ग्राम / माइक्रो वाटरशेड (500 हेक्टेयर) के मान से मानदेय एवं वास्तवित यात्रा भत्ता दिया जायेगा। इस व्यय की प्रतिपूर्ति जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन दल स्तर पर प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से की जायेगी।

3.1.4 स्टेट क्वालिटी मानीटरिंग के आधार पर प्राप्त प्रतिवेदन का ऑन लाईन रिपोर्ट एन्ट्री (on line report submission) तथा मूल्यांकन में सुझाये गये कमियों/कमजोरियों पर की गई कार्यवाही (Action Taken Report) :

- जिला स्तरीय समवर्ती मूल्यांकन एवं सहयोग प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता संस्था/व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्रों एवं सांकेतकों के आधार पर तैयार प्रतिवेदन को इंटरनेट के माध्यम से ऑन लाईन रिपोर्ट submission भी किया जायेगा।

- **कमियों/कमजोरियों पर की गई कार्यवाही (Action Taken Report)**
    - मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकनकर्ता संस्था द्वारा जलग्रहण परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही कमियों/कमजोरियों की पहचान कर परियोजना क्रियान्वयन दल को अवगत कराया जायेगा, साथ ही उनके निराकरण हेतु पी.आई.ए. को मूल्यांकनकर्ता द्वारा मार्गदर्शन भी प्रदत्त किया जायेगा।
    - मूल्यांकन के दौरान सुझाये गये कमियों/कमजोरियों को दूर करने हेतु पी.आई.ए. द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा जिला कलेक्टर (मिशन लीडर) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में की जायेगी। समीक्षा के उपरान्त पी.आई.ए. द्वारा की गई कार्यवाही संतोषजनक पाये जाने पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मिशन मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

3.2 मध्यावधि मूल्यांकन (Mid term evaluation)

- भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत 45 प्रतिशत परियोजना राशि व्यय होने पर बाह्य संस्था द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन कराया जाता है। इस मूल्यांकन के उपरांत भारत शासन को मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रेषित करने के बाद ही आगामी किश्त जारी की जाती है।
- उपरोक्त मूल्यांकन कार्य भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा अनुमोदित राज्य स्तर पर गठित अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों के पैनल द्वारा कराया जाता है। मूल्यांकन हेतु अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों को परियोजनाओं का आवंटन मिशन मुख्यालय द्वारा किया जाता है।
- इस मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत परियोजना के तहत 45 प्रतिशत राशि व्यय होने के उपरांत राज्य स्तर द्वारा बाह्य संस्था को मूल्यांकन का कार्य आवंटित किया जाता है। इस मूल्यांकन के उपरांत अशासकीय/स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन में परियोजना के अंतर्गत परिलक्षित कमजोरियों के संदर्भ में जानकारी दी जाती है। यह मूल्यांकन प्रतिवेदन जिलों को भेजकर परिलक्षित कमियों/कमजोरियों/अनियमितताओं के संदर्भ में सुधारात्मक कार्यवाही कर मिशन मुख्यालय को सूचित किया जाता है, जो भारत शासन को भेजने के बाद ही आगामी किश्त जारी की जाती है।
- मध्यावधि मूल्यांकन के अंतर्गत जिन बिन्दुओं का समावेश किया जाता है, उनका विवरण अनुलग्नक – तीन पर दिया गया है।
- मध्यावधि मूल्यांकन के उपरांत बाह्य संस्था को मूल्यांकन हेतु भुगतान भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किया जाता है, जिसके अन्तर्गत रुपये 1000/– प्रतिदिन (कम से कम 3000 हेक्टेयर के सर्वेक्षण पर) के मान से मानदेय तथा वास्तविक यात्रा भत्ता दिया जाता है।

3.3 अंतिम मूल्यांकन (End term evaluation)

- भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत पूरी राशि व्यय होने एवं परियोजना अवधि समाप्त होने के उपरांत बाह्य संस्था द्वारा अंतिम मूल्यांकन कराया जाता है। यह मूल्यांकन प्रतिवेदन परियोजना समाप्ति के प्रतिवेदन के साथ भारत शासन को प्रस्तुत की जाती है।
- उपरोक्त मूल्यांकन कार्य भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा अनुमोदित राज्य स्तर पर गठित अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों के पैनल द्वारा कराया जाता है। मूल्यांकन हेतु अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों को परियोजनाओं का आवंटन मिशन मुख्यालय द्वारा किया जाता है।
- इस मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत परियोजना की पूरी राशि व्यय होने एवं परियोजना अवधि समाप्त होने के उपरांत राज्य स्तर द्वारा बाह्य संस्था को मूल्यांकन का कार्य आवंटित किया

जाता है। इस मूल्यांकन में परियोजना अवधि के दौरान राशि के सदुपयोग एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का आकलन किया जाता है।

- अंतिम मूल्यांकन के अंतर्गत जिन बिन्दुओं का समावेश किया जाता है, उनका विवरण अनुलग्नक – चार पर दिया गया है।
- अंतिम मूल्यांकन के उपरांत बाह्य संस्था को मूल्यांकन हेतु भुगतान भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किया जाता है, जिसके अन्तर्गत रुपये 1000/– प्रतिदिन (कम से कम 3000 हेक्टेयर के सर्वेक्षण पर) के मान से मानदेय तथा वास्तविक यात्रा भत्ता दिया जाता है।

3.4 रिमोट सेंसिंग के माध्यम से मूल्यांकन (Evaluation through Remote Sensing)

- उपरोक्त मूल्यांकन के अतिरिक्त राज्य स्तर द्वारा विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग तकनीक/सेटेलाईट इमेजरी के उपयोग द्वारा परियोजना पूर्व एवं परियोजना उपरांत की स्थिति की तुलना कर मूल्यांकन किया जायेगा।
- उपरोक्त मूल्यांकन हेतु रिमोट सेंसिंग/सेटेलाईट इमेजरी द्वारा परियोजना पूर्व की इमेज से परियोजना उपरांत की इमेज की तुलना की जायेगी, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विश्लेषण किया जायेगा :
  - भूमि उपयोग
  - वृक्षारोपण के अन्तर्गत क्षेत्र
  - विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र
  - पड़त भूमि के अन्तर्गत क्षेत्र
  - जल संरक्षण व संवर्धन संरचनाएँ (जल निकाय)
  - बायोमास
- परियोजना पूर्व एवं उपरांत के सेटेलाईट इमेजरी के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा परियोजना की सफलता का मूल्यांकन किया जायेगा।
- उपरोक्त मूल्यांकन कार्य हेतु रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (Remote Sensing Application Center), म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, नेहरू नगर, भोपाल अथवा अन्य संस्थाओं से सहयोग लिया जायेगा।

4. जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली :

4.1 डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मानीटरिंग प्रणाली (District Quality Monitoring)

4.1.1 मूल्यांकन कार्य किनके द्वारा किया जायेगा

- पत्र क्र. 14755/22/वि–9/आर.जी.एम./2005 भोपाल दिनांक 22.10.2005 द्वारा जारी आदेश क्र. 22 के माध्यम से आपको जिला स्तर पर जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ के साथ स्वयंसेवी संगठन इकाई (Partner NGOs) की स्थापना हेतु 5–6 स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन तथा जल संग्रहण व संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्थानीय व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय कॉलेज, पॉलीटेक्निक आदि के छात्रों को शामिल करते हुए जल विशेषज्ञ समिति (Water Expert Group) के गठन हेतु निर्देशित किया गया था।
- उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में स्वयंसेवी संगठन इकाई (Partner NGOs) की स्थापना हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया पत्र क्र. 18287/22/वि–9/आर.जी.एम./2005 भोपाल दिनांक 28.12.2005 द्वारा स्पष्ट किया गया था, जिसके तहत आपको अपने जिले के न्यूनतम 10 एन.जी.ओ. (एन.आर.ई.जी. जिलों को 15 एन.जी.ओ.) को चुन (Shortlist) कर उनका विवरण अंतिम अनुमोदन हेतु मिशन मुख्यालय को प्रेषित किया जाना था।
- उपरोक्तानुसार आपके द्वारा भेजे गये एन.जी.ओ. की सूची राज्य स्तर से अंतिम अनुमोदन के उपरांत आपके जिले के स्वयंसेवी संगठन इकाई (Partner NGOs) के सदस्य होंगे।

- उपरोक्तानुसार चयनित एवं अनुमोदित गैर शासकीय संस्थाओं के साथ जिला स्तर पर किये जाने वाले अनुबंध की प्रति आपको पत्र क्र. 325/22/वि–9/आर.जी.एम./2006 भोपाल, दिनांक 09.01.2006 द्वारा सूचित किया गया था।
- जिला स्तर पर गठित स्वयंसेवी संगठन इकाई (Partner NGOs) एवं जल विशेषज्ञ समिति (Water Expert Group) के पैनल में से विभिन्न अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों को डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मानीटरिंग (District Quality Monitoring) के तहत मूल्यांकन का कार्य आवंटित किया जायेगा।
- मूल्यांकन हेतु कार्य आवंटन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि अनुश्रवण व मूल्यांकनकर्ता अशासकीय/स्वयंसेवी संस्था, परियोजना क्रियान्वयन दल स्तर पर संबद्ध एन.जी.ओ. से अलग हों।
- मूल्यांकन कार्य का आवंटन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा।

4.1.2 मूल्यांकन की अवधि :

- इस मूल्यांकन प्रणाली के तहत अशासकीय /स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवंटित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का माइक्रो वाटरशेडवार/ ग्राम पंचायतवार प्रत्येक 06 माह में एक बार समवर्ती मूल्यांकन किया जायेगा। इस मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकनकर्ता संस्था द्वारा जलग्रहण परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही कमियों / कमजोरियों की पहचान कर परियोजना क्रियान्वयन दल को अवगत कराया जायेगा। मूल्यांकन के उपरांत परिलक्षित हुई कमियों/कमजोरियों के निराकरण हेतु परियोजना क्रियान्वयन दल को मूल्यांकनकर्ता संस्था द्वारा मार्गदर्शन प्रदत्त किया जायेगा। इसके उपरांत 06 माह बाद किये जाने वाले आगामी मूल्यांकन में विगत मूल्यांकन की कमियों के निराकरण हेतु उठाये गये कदमों के संबंध में भी विश्लेषण किया जायेगा।
- प्रत्येक अशासकीय /स्वयंसेवी संस्था द्वारा जिले के अंतर्गत आवंटित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का पहली बार मई–जून के माह में मूल्यांकन किया जायेगा तथा दूसरी बार दिसम्बर के माह में मूल्यांकन किया जायेगा। **मई–जून माह में किये जाने वाले मूल्यांकन को वार्षिक मूल्यांकन भी माना जायेगा, जिसके तहत अशासकीय/स्वयंसेवी संस्था को मूल्यांकन के उपरांत वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाना होगा।**

4.1.3 मूल्यांकन के सांकेतक :

- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के तहत विभिन्न तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पहलुओं को समेकित कर विकास किया जाता है। अतः जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के मूल्यांकन में इन सभी बिन्दुओं का समावेश करना आवश्यक है। इस मूल्यांकन में तकनीकी सांकेतकों पर विशिष्ट सर्वेक्षण करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि निर्मित संरचनाओं के स्थल चयन की उपयुक्तता, तकनीकी बिन्दुओं पर संरचना के स्थायित्व, परिसम्पत्ति से लाभान्वित होने वाले समुदाय के संदर्भ में समीक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत पहलुओं पर भी सर्वेक्षण किया जाना होगा। जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं सहयोग प्रणाली के अंतर्गत परियोजना के विभिन्न चरणों /वर्षों में जिन बिन्दुओं का मूल्यांकन किया जायेगा, उनका विवरण अनुलग्नक – एक पर दिया गया है।
- जिला स्तर से किये जाने वाले समवर्ती मूल्यांकन एवं सहयोग प्रणाली में निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में मूल्यांकन किया जायेगा।
    - एल.एफ.ए. आधारित कार्य योजना
    - दलों का गठन एवं चयनित गतिविधियों से इनका जुड़ाव
    - स्वावलंबन दलों की गतिविधियों का क्रियान्वयन
    - संपादित किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता तथा तकनीकी मानदण्डों का अनुपालन
    - निर्मित संरचनाओं तथा परिसम्पत्तियों का रख रखाव

- निर्मित संरचनाओं व परिसम्पत्तियों की लागत का भौतिक सत्यापन
- लाभों का वितरण
- ग्राम पंचायत की क्रियाशीलता
- रिकार्ड व रजिस्टर का संधारण
- लक्ष्य अनुरूप भौतिक व वित्तीय प्रगति

4.1.4 मूल्यांकन कार्य हेतु भुगतान :

- जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं सहयोग प्रणाली के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता संस्था/व्यक्ति को रुपये 500 प्रति ग्राम / माइक्रो वाटरशेड (500 हेक्टेयर) के मान से मानदेय दिया जायेगा। इस व्यय की प्रतिपूर्ति जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन दल स्तर पर प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से की जायेगी।

4.1.5 जिला स्तरीय समवर्ती मूल्यांकन व सहयोग प्रणाली के आधार पर प्राप्त जानकारी का ऑन लाईन रिपोर्ट एन्ट्री (submission) तथा मूल्यांकन में सुझाये गये कमियों/कमजोरियों पर की गई कार्यवाही (Action Taken Report) :

- जिला स्तरीय समवर्ती मूल्यांकन एवं सहयोग प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता संस्था/व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्रों एवं सांकेतकों के आधार पर तैयार प्रतिवेदन को इंटरनेट के माध्यम से ऑन लाईन रिपोर्ट submission भी किया जायेगा।
- **कमियों/कमजोरियों पर की गई कार्यवाही (Action Taken Report)**
    - मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकनकर्ता संस्था द्वारा जलग्रहण परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही कमियों/कमजोरियों की पहचान कर परियोजना क्रियान्वयन दल को अवगत कराया जायेगा, साथ ही उनके निराकरण हेतु पी.आई.ए. को मूल्यांकनकर्ता द्वारा मार्गदर्शन भी प्रदत्त किया जायेगा।
    - मूल्यांकन के दौरान सुझाये गये कमियों/कमजोरियों को दूर करने हेतु पी.आई.ए. द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा जिला कलेक्टर (मिशन लीडर) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में की जायेगी। समीक्षा के उपरान्त पी.आई.ए. द्वारा की गई कार्यवाही संतोषजनक पाये जाने पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मिशन मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

5. पी.आई.ए. के एन.जी.ओ. सहायक द्वारा मूल्यांकन (Evaluation by PIA Partner NGO) :

पत्र क्र. 14755/22/वि–9/आर.जी.एम./2005 भोपाल, दिनांक 22.10.05 द्वारा जारी आदेश क्र. 22 के अन्तर्गत जिला स्तर पर सहयोगी दल में शामिल स्वयंसेवी संस्थाओं के किसी एक एन.जी.ओ. के 1–2 प्रतिनिधि को पी.आई.ए. के सहायक एन.जी.ओ. के रूप में नियुक्त किया जाना था। इनके चयन का निर्णय मिशन लीडर एवं जिला कलेक्टर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है। पी.आई.ए. के इन एन.जी.ओ. सहायक की प्रमुख भूमिका निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :

- विभिन्न तकनीकी सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सलाह, सहयोग व मार्गदर्शन देना।
- कार्ययोजना के निर्माण (Project Planning) हेतु पी.आई.ए. द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना।
- परियोजना पूर्व (Pre-Project Evaluation) हेतु पी.आई.ए. द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना।
- निरख–परख के क्रियान्वयन हेतु पी.आई.ए. द्वारा सौंपे गये कार्य का निर्वहन करना।
- प्रशिक्षण एवं सामुदायिक संगठन (Training & community Organisation) के संबंध में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित दायित्वों के अन्तर्गत पी.आई.ए. के एन.जी.ओ. सहायक के माध्यम से प्रत्येक 06 माह पर मूल्यांकन कराया जाना है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत प्रथम मूल्यांकन मई–जून में किया जायेगा तथा दूसरा मूल्यांकन दिसम्बर–जनवरी के माह में किया जायेगा। इस मूल्यांकन के आधार

पर पी.आई.ए. के एन.जी.ओ. सहायक मूल्यांकन प्रतिवेदन जिला पंचायत को प्रस्तुत करेंगे, तदुपरांत जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मानीटरिंग की रिपोर्ट के साथ इस रिपोर्ट को जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष समीक्षा कर मिशन मुख्यालय को प्रेषित करेगी। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मानीटरिंग के लिए मूल्यांकन कार्य आवंटित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना होगा कि मूल्यांकनकर्ता एन.जी.ओ. पी.आई.ए. के एन.जी.ओ. से अलग हों।

6 आडिट (अंकेक्षण)

6.1 सामाजिक अंकेक्षण (निरख–परख)

चूँकि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व ग्रामीण हितग्राहियों/समुदाय को सौंपा गया है। अतः समुदाय द्वारा किया गया मूल्यांकन ही सर्वाधिक उपयुक्त माना जाना चाहिए। इस कड़ी के अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का निरख–परख नामक सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन किया जाना है। यह मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष में मार्च के अंत तक की कार्य स्थिति का विश्लेषण किया जायेगा।

6.1.1 उद्देश्य

''निरख–परख'' को जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, वे निम्नानुसार हैं :

- जलग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत **प्रत्येक वर्ष** हेतु निर्धारित सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्राप्ति के स्तर का आकलन
- जलग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत सम्पादित विकास कार्यों के फलस्वरूप मिट्टी, पानी, कृषि, वानस्पति आदि प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन के स्तर का विश्लेषण
- समुदाय के माध्यम से जलग्रहण परियोजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप प्राप्त लक्ष्य एवं शेष कार्यों हेतु भविष्य के दिशा निर्धारित करना
- जलग्रहण परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित गतिविधियों एवं किये गये व्यय के संबंध में पारदर्शिता लाकर समुदाय का कार्यक्रम के प्रति विश्वास जाग्रत कर दायित्वबोध का एहसास कराना

6.1.2 प्रक्रिया

- ''निरख–परख'' की प्रक्रिया के अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का मूल्यांकन परियोजना क्रियान्वयन दल के सहयोग से संबंधित माइक्रो वाटरशेड की ग्राम स्तरीय वाटरशेड समिति / विस्तारित पानी रोको समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सभी सदस्यों की उपस्थिति में समुदाय द्वारा संपादित किया जाता है।
- ''निरख–परख'' की प्रक्रिया के दौरान गाँव के शिक्षक, गुरूजी, पटवारी, पंच एवं सरपंच, आँगनबाड़ी सदस्य, जन स्वास्थ्य रक्षक एवं अन्य योजनाओं एवं विभागों के कार्यकर्ता की उपस्थिति भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे परियोजना के अंतर्गत सम्पादित सभी भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।
- ''निरख–परख'' की प्रक्रिया गाँव के किसी ऐसे सामुदायिक स्थल पर संपादित किया जाना चाहिए, जहाँ सभी ग्रामीणों का हमेशा आना–जाना हो एवं गाँव के लोगों को इकट्ठा होने में सुविधा हो। ऐसे स्थल पंचायत भवन, स्कूल भवन अथवा कोई अन्य सामुदायिक भवन या स्थल हो सकते हैं।
- जिस दीवार पर ''निरख–परख'' की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी, उसका आकार कम–से–कम 12 × 12 फीट होना चाहिए।
- ''निरख–परख'' के लिए माइक्रो वाटरशेड की सीमा के सहित उसमें आने वाले गाँवों की मूलभूत एवं समग्र मानचित्र की आवश्यकता होती है, जिसमें आवासीय क्षेत्र, गाँव के मुख्य मार्ग, सामुदायिक भवन, हाट, स्वास्थ्य केन्द्र, खसरा, नक्शे की सहायता से ग्रामीणों के नाम सहित प्रत्येक भू–स्वामी का खेत, नदी–नालों की स्थिति, चरनोई भूमि, वन, राजस्व/गैर राजस्व भूमि

आदि का विवरण अलग–अलग रंगों से अंकित है। यह मानचित्र ऐसा होना चाहिए जिसे समझने में गाँव वालों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

- 'निरख–परख'' के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष किसी निर्धारित दिवस पर परियोजना क्रियान्वयन दल द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में जनसभा आयोजित की जाती है, जिसमें गाँव के नक्शे के ऊपर स्थानीय समुदाय द्वारा परियोजना पूर्व की स्थिति व वर्तमान स्थिति की तुलना के आधार पर विश्लेषण किया जाता है।
- इस प्रक्रिया के दौरान सर्वप्रथम जिस दीवार पर निरख–परख किया जाना है, उसे दो भागों में बाँट दिया जाता है, पहले भाग में परियोजना प्रारम्भ के समय की स्थिति को दर्शाते हुए गाँव के मानचित्र पर ग्रामीणों से चर्चा कर एवं कार्ययोजना के आधार पर विभिन्न सांकेतकों का चित्रण व आंकड़ों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है।
- इसके बाद दीवार के दूसरे भाग में गाँव के मानचित्र पर ग्रामीणों के साथ चर्चा के उपरांत परियोजना की वर्तमान स्थिति का चित्रण एवं जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप संसाधनों पर प्रभाव का विवरण अंकित किया जाता है।
- निरख–परख द्वारा सम्पादित मूल्यांकन के परिणामों पर परियोजना क्रियान्वयन दल एवं ग्राम स्तरीय वाटरशेड समिति/विस्तारित पानी रोको समिति एवं ग्राम पंचायत की सहायता से रिपोर्ट तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में अधिकतम रुपये 1500 का व्यय किया जाना है, जो सामुदायिक संगठन मद में उपलब्ध राशि में विकलनीय है।

6.1.3 रणनीति :

- ''निरख–परख'' प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण समुदाय द्वारा मूल्यांकन के दौरान मानचित्रों को बनाना एवं उन पर जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रभाव के संबंध में विविध जानकारी को अंकित करने को मात्र औपचारिक रूप से सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए, अपितु इस प्रक्रिया में पूरे समुदाय की सतत भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ''निरख–परख'' की प्रक्रिया केवल औपचारिकता के आधार पर दो या तीन ग्रामीणों को इकट्ठा कर सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय समुदाय न सिर्फ उपस्थित रहें, बल्कि इस मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह से सहभागी बनें। इसके लिए मानचित्र पर विवरण अंकित करते समय सभी ग्रामीणों के अभिमत को पूरा सम्मान देते हुए अंकित किया जाना चाहिए।
- ''निरख–परख'' की प्रक्रिया में समुदाय का पूरा सहयोग हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि परियोजना क्रियान्वयन दल इस संबंध में प्रारंभ में ही ग्रामवासियों से चर्चा कर इस मूल्यांकन पद्धति की जानकारी प्रदान करें, जिससे वे इस प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष शामिल होकर कार्यक्रम को और सुदृढ़ एवं परिणाममूलक बनाने की दिशा में अपना सहयोग प्रदान कर सकें।

6.1.4 निरख–परख के क्रियान्वयन की अवधि :

- ''निरख–परख'' के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया परियोजना स्वीकृति के उपरांत प्रारम्भ किया जाना होगा, जिसमें उक्त पैरा 3 के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थल की दीवार पर गाँव के मूलभूत एवं समग्र मानचित्र को दर्शाया जाना होगा, जिसमें परियोजना पूर्व की स्थिति को दर्शाते हुए गाँव के आवासीय क्षेत्र, मुख्य मार्ग, सामुदायिक भवन, हाट, स्वास्थ्य केन्द्र, खसरा, नक्शे की सहायता से ग्रामीणों के नाम सहित प्रत्येक भू–स्वामी का खेत, नदी–नालों की स्थिति, चरनोई भूमि, वन, राजस्व/गैर राजस्व भूमि आदि का विवरण अलग–अलग रंगों से अंकित किया जाना होगा।
- इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष माह जून में परियोजना के अन्तर्गत उस अवधि तक सम्पादित किये गये जलग्रहण क्षेत्र विकास के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों एवं उनके प्रभावों को दर्शाते हुए निरख–परख के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी होगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत गाँव की जिस दीवार पर परियोजना पूर्व की स्थिति का नक्शा अंकित किया गया है,

उसके दूसरे भाग में ग्रामीण समुदाय से चर्चा एवं उनकी सहायता से परियोजना की वर्तमान स्थिति का चित्रण एवं जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप संसाधनों पर प्रभाव का विवरण अंकित किया जाना होगा।

6.2 चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा वार्षिक ऑडिट

- चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा परियोजना क्रियान्वयन दल एवं माइक्रो वाटरशेड स्तर पर ग्राम पंचायतवार संधारित लेखाओं का वार्षिक ऑडिट किया जाना होगा।
- इस ऑडिट में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रदत्त राशि एवं व्यय आदि के संबंध में संधारित लेखाओं का परीक्षण किया जायेगा।
- यह ऑडिट प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में किया जायेगा, जिसमें विगत वित्तीय वर्ष में मार्च के अंत तक की स्थिति में संधारित लेखाओं एवं प्रदत्त राशि व व्यय का विश्लेषण व परीक्षण किया जायेगा।

6.3 जिला पंचायत द्वारा वार्षिक ऑडिट

- जिला पंचायत द्वारा किये जाने वाले ऑडिट के तहत लेखा विशेषज्ञों व तकनीकी विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के तहत संपादित कार्यों तथा लेखाओं का नियमों व दिशा निर्देशों के अनुक्रम में परीक्षण तथा अंकेक्षण किया जायेगा। इस प्रकार के अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जलग्रहण परियोजनाओं के तहत सम्पादित विभिन्न जल संरक्षण व संवर्धन गतिविधियों के तहत व्यय राशि की उपयोगिता का तकनीकी समिति के माध्यम से परीक्षण कर यह आकलन करना कि व्यय राशि सार्थक है या नहीं।
- जिला पंचायत द्वारा किये जाने वाले ऑडिट हेतु लेखा विशेषज्ञों व तकनीकी विशेषज्ञों का नामांकन जिला कलेक्टर (मिशन लीडर) द्वारा किया जायेगा।
- यह ऑडिट प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में किया जायेगा, जिसमें विगत वित्तीय वर्ष में मार्च के अंत तक की स्थिति में संधारित लेखाओं एवं प्रदत्त राशि व व्यय का विश्लेषण व परीक्षण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार कृपया जिला स्तर पर जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के सतत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु वांछित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर निर्धारित अवधि में मूल्यांकन सुनिश्चित कराये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(वसीम अख्तर)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र. शासन

डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मानीटरिंग प्रणाली हेतु प्रपत्र
(Format for District Quality Monitoring)

अ. परियोजना की सामान्य जानकारी

जिले का नाम : . . . . . .

परियोजना अधिकारी का नाम : . . . . . .

पी.आई.ए. के कुल सदस्यों की संख्या : . . . . . .

पी.आई.ए. का विवरण : . . . . . .

1.

2.

3.

4.

5.

पी.आई.ए. के साथ सम्बद्ध एन.जी.ओ. का नाम : . . . . . .

योजना का नाम जिसके तहत परियोजना के तहत राशि प्राप्त की जाती है : . . . . . .

सर्वेक्षित माइक्रो वाटरशेड का नाम : . . . . . .

माइक्रो वाटरशेड के तहत आने वाले ग्राम पंचायतों का नाम : . . . . . .

माइक्रो वाटरशेड के तहत आने वाले गाँवों का नाम : . . . . . .

माइक्रो वाटरशेड के तहत गठित वाटरशेड कमेटी / विस्तारित पानी रोको समिति का विवरण : . . . . . .

1. अध्यक्ष –

2. सचिव –

3. सदस्यों की संख्या –

ब. वित्तीय व्यवस्था

1. परियोजना खाते का विवरण : बैंक का नाम . . . . . ., खाता क्र. . . . . .

2. विकास खाते का विवरण : बैंक का नाम . . . . . ., खाता क्र. . . . . .

3. परियोजना के तहत अब तक प्राप्त कुल राशि

- माइक्रो वाटरशेड स्तर पर : रु. . . . . लाख
- पी.आई.ए. स्तर पर : रु. . . . . लाख

- विभिन्न मदों में प्राप्त राशि
    - प्रशासकीय : रु. . . . . लाख
    - सामुदायिक संगठन : रु. . . . . लाख
    - प्रशिक्षण : रु. . . . . लाख
    - कार्य : रु. . . . . लाख

4. ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित निम्न रेकॉर्ड व रजिस्टर में नियमित रूप से विवरण अंकित करने के संबंध में अभिमत

- परियोजना खाते . . . . . .
- परियोजना खाते के प्राप्तियाँ/व्यय रजिस्टर . . . . . .
- परियोजना खाते के चैक रजिस्टर . . . . . .
- विकास खाते . . . . . .
- विकास खाते के योगदान रजिस्टर . . . . . .
- विकास खाते के चैक रजिस्टर . . . . . .
- कार्य रजिस्टर . . . . . .
- निर्मित (पूर्ण) संरचनाओं के रजिस्टर . . . . . .
- ग्राण्ट रजिस्टर . . . . . .
- प्राक्कलन फोल्डर रजिस्टर . . . . . .
- गठित दलों का रजिस्टर . . . . . .
- रिपोर्ट रजिस्टर . . . . . .

स. सामाजिक एवं संस्थागत सांकेतक

- दलों/समूहों के गठन की प्रक्रिया तथा कार्यक्रम संचालन के संदर्भ में उनका सामर्थ्य

1. उपयोगकर्ता दल एवं स्वावलम्बन दल

- गाँव स्व–सहायता समूहों का गठन की स्थिति . . . . . .
- स्व–सहायता समूह का आकार . . . . . .
- समूह के सदस्यों के बीच एकरूपता एवं सामंजस्य . . . . . .
- समूह के सदस्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक समानता . . . . . .
- सभी समूहों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन की स्थिति . . . . . .
- गाँव के कितने प्रतिशत निर्धन एवं सीमांत किसान के परिवार लाभान्वित . . . . . .
- सभी स्व–सहायता समूहों की नियमित मासिक बैठक की स्थिति . . . . . .
- सभी स्व–सहायता समूहों की नियमावली की स्थिति . . . . . .

- सभी स्व–सहायता समूहों का बैंक में खाता की स्थिति . . . . . .
- स्व–सहायता समूह की वर्ष में औसत बचत की स्थिति . . . . . .
- सभी स्व–सहायता समूहों को आयमूलक गतिविधियों से जोड़े जाने की स्थिति . . . . . .
- स्व–सहायता समूहों के उत्पादों के लिए हाट/बाजार में विपणन की व्यवस्था . . . . . .
- स्व–सहायता समूहों को संघ के रूप में जोड़े जाने का प्रयास . . . . . .
- स्व–सहायता समूहों को अन्य योजना एवं बैंको से वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति
- स्व–सहायता समूहों को चारागाह विकास, डेयरी, पोलट्री, लाख, रेशम, सब्जी उत्पादन, रतनजोत खेती, औषधीय फसलों के विकास, खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों से जोड़े जाने की स्थिति . . . . . .
- सामाजिक न्याय एवं आम सहमति के आधार पर लाभों का न्यायोचित बंटवारा . . . . . .

2. वाटरशेड कमेटी/विस्तारित पानी रोको समिति

- विवादों के समाधान एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कमेटी की भूमिका, क्षमता एवं सामर्थ्य .
- राशि के लेनदेन में अपनाई गई पारदर्शिता . . . . . .
- कमजोर वर्ग की आर्थिक समृद्धि, कौशल विकास तथा परेशानियों के निराकरण हेतु उठाए गए कदम . . . . . .
- उपचार कार्य के सर्वोत्तम विकल्प तय करने में कमेटी की भूमिका एवं योग्यता . . . . . .
- गाँव की अन्य संस्थाओं, विभागों एवं योजनाओं के साथ सहयोग व समन्वय . . . . . .
- विकास खाते में प्राप्त योगदान . . . . . .
- निर्मित परिसम्पत्तियों एवं संरचनाओं के रखरखाव की स्थिति . . . . . .

3. दलों/समूहों की सक्रियता (group dynamism) : समूह के सदस्यों का कार्यक्रम के प्रति लगाव एवं समय पर कार्य सम्पन्न करने में समूह की भूमिका . . . . . .
4. समाज की सहभागिता : निम्न सांकेतकों के माध्यम से वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत समाज की सहभागिता का आकलन किया जायेगा :

- कार्यक्रम में समाज का विश्वास एवं उसके संचालन में अपने अधिकार एवं जिम्मेदारी का बोध . . . . . .
- गतिविधियों के क्रियान्वयन में समाज की सक्रिय भागीदारी . . . . . .
- ग्राम सभा एवं वाटरशेड कमेटी / विस्तारित पानी रोको समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति एवं भागीदारी . . . . . .
- समुदाय द्वारा प्रस्तावित उपचार गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं विस्तार . . . . . .
- विकास खाते के लिए निर्धारित प्रतिशत से अधिक मात्रा में योगदान . . . . . .

- शासकीय भूमि पर विभिन्न उपचार गतिविधियों के फलस्वरूप प्राप्त लाभों जैसे लकड़ी, घास आदि को उससे सम्बद्ध उपयोगकर्ता दल/स्व सहायता समूह के सदस्यों के बीच समानता से बंटवारा . . . . . .
- कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों/संरचनाओं के संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी समाज द्वारा स्वीकारने की स्थिति . . . . . .

5. ग्रामीण समाज एवं विभिन्न समूहों की क्षमता का विकास
   - जलग्रहण परियोजना की अवधारणा की समझ . . . . . .
   - लेखा एवं रजिस्टरों को संधारित करने की क्षमता . . . . . .
   - समूह के रूप में कार्य करने की क्षमता के विकास का स्तर . . . . . .
   - कार्य योजना बनाने, क्रियान्वयन तथा कार्यक्रम के अधीन निर्मित संरचनाओं के रखरखाव के कौशल का विकास . . . . . .
6. सामाजिक न्याय तथा समानता से जुड़े मुद्दे
   - समानता के पक्ष में उपयुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण . . . . . .
   - शासकीय / साझा भूमि पर उपजे लाभों को गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए वितरित करने हेतु जरूरी संस्थागत ढांचे का विकास (उपयोगकर्ता दल /स्व–सहायता समूह) . . . . . .
   - उपजे लाभों को समानता के आधार पर बाँटे जाने के लिए की गई व्यवस्था को स्थायी आधार प्रदान करना . . . . . .
   - गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विभिन्न आयमूलक गतिविधियों से जोड़े जाने का प्रयास . . . . . .
7. लिंग भेद (gender equity) : कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका की स्थिति . . . . . .
8. समाज का सशक्तिकरण : महिलाओं एवं अपेक्षित वर्गों की स्थिति में सुधार
   - गाँव के सभी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्राथमिक शाला में दाखिला की स्थिति . . .
   - गाँव के सभी अनपढ़ प्रौढ़ के लिए सायंकाल स्कूल की व्यवस्था की स्थिति . . . . . .
   - गाँव के सभी लड़कियों को उनकी शिक्षा के स्तर के अनुरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में दाखिला की स्थिति . . . . . .
   - गाँव के प्राथमिक शाला के सभी बच्चों हेतु आयरन तथा डी–वर्मिंग की गोलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की स्थिति . . . . . .
   - गाँव के सभी बच्चों का टीकाकरण की स्थिति . . . . . .
   - गाँव की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण की स्थिति . . . . . .

- सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए प्रत्येक त्रैमास में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन की स्थिति . . . . . .
- गाँव के सभी इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित घरों में शौचालय की स्थिति . . . . . .
- गाँव में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति . . . . . .
- गाँव के प्रत्येक फलिया में पीने के लिए एक हैण्डपम्प की व्यवस्था की स्थिति . . . . . .
- स्वच्छता से संबंधित जागरूकता शिविर के आयोजन की स्थिति . . . . . .
- घरों में धुंआ रहित चूल्हा / बायोगैस के माध्यम से खाना बनाने की स्थिति . . . . . .
- पुरूष द्वारा शराब का सेवन नहीं करने की स्थिति . . . . . .
- बाल–विवाह की स्थिति . . . . . .
- बिना दहेज विवाह करने की स्थिति . . . . . .
- साक्षरता एवं स्वच्छता जैसी गतिविधियों के प्रति ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन . . . . .
- उच्च शिक्षा विशेषकर महिलाओं के प्रति ग्रामीणों की सोच में आया परिवर्तन . . . . . .

9. संसाधनों के जुटान (resource mobilisation) : विभिन्न योजनाओं, विभागों एवं बैंक से जलग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत समग्र विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के जुटान की स्थिति . . . . . .

द. तकनीकी सांकेतक

- ''रिज–टू–वैली'' सिद्धांत के आधार पर जल संरक्षण व संवर्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन की स्थिति . . . . . .
- पहाड़ी क्षेत्र का मृदा एवं नमी संरक्षण के कार्यों के माध्यम से उपचार की स्थिति . . . . . .
- निजी भूमि एवं कृषि भूमि पर किसानों के स्वयं के प्रयासों से जल संरक्षण व संवर्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन की स्थिति . . . . . .
- पुराने जल संरक्षण संरचनाओं का जीर्णोद्धार की स्थिति . . . . . .
- नदी–नालों पर पानी रोकने वाली संरचनाओं का निर्माण की स्थिति . . . . . .
- कुओं एवं नलकूपों का रिचार्ज की स्थिति . . . . . .
- किसानों द्वारा खेत में कुण्डी, कुईया, डबरा–डबरी का निर्माण की स्थिति . . . . . .
- सम्पादित गतिविधियों / संरचनाओं के रखरखाव एवं स्थायित्व की स्थिति . . . . . .
- निर्मित परिसम्पत्तियों/संरचनाओं की तकनीकी गुणवत्ता . . . . . .
- प्रस्तावित गतिविधियों के स्थल चयन की उपयुक्तता . . . . . .
- प्रस्तावित गतिविधियों के फलस्वरूप अतिरिक्त जल उपलब्धता के विरूद्ध माइक्रोवाटरशेड की जल आवयश्कता की पूर्ति . . . . . .
- वाटर बजटिंग की स्थिति . . . . . .

- जल संसाधन रजिस्टर की स्थिति . . . . . .
- वृक्षारोपण के अंतर्गत जीवित पौधों की स्थिति . . . . . .
- पड़त भूमि के विकास की स्थिति . . . . . .
- गाँव के कुओं तथा नलकूपों में जल उपलब्धता की स्थिति . . . . . .
- रबी एवं खरीफ फसलों हेतु पर्याप्त पानी की उपलब्धता . . . . . .
- कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी . . . . . .
- कृषि पद्धति (मौसमवार बोई फसल एवं रकबे) में परिवर्तन . . . . . .
- एक फसली क्षेत्र से दो फसली क्षेत्र में आया परिवर्तन . . . . . .
- प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में फसलवार सुधार . . . . . .
- कार्बनिक तथा रासायनिक खाद की खपत में प्रति हेक्टेयर वृद्धि एवं उनके उपयोग में आया परिवर्तन . . . . . .
- भूमि कटाव की स्थिति . . . . . .
- शासकीय सामुदायिक भूमि पर चारागाह विकास की स्थिति . . . . . .
- घरों मे वर्षा जल संरक्षण की तकनीकों के उपयोग की स्थिति . . . . . .
- सतही जल संग्रहण संरचनाओं में लिफ्ट एरीगेशन की सुविधा की स्थिति . . . . . .
- उपचार कार्यों के फलस्वरूप सिंचित रकबे में आया अन्तर
    - खरीफ . . . .. हेक्टेयर
    - रबी . . . .. हेक्टेयर
    - ग्रीष्म . . . .. हेक्टेयर
- उपचार के फलस्वरूप माइक्रो वाटरशेड के प्रमुख नाले से सिंचित क्षेत्र में आया अन्तर
    - उपचार के पूर्व तथा उपचार के उपरांत प्रमुख नाले में जल प्रवाह की अवधि . . . . . .
    - उपचार के पूर्व तथा उपचार के नाले के पानी का उपयोग (रबी, खरीब तथा ग्रीष्म फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र) . . . . . .
    - उपचार के पूर्व तथा उपचार के उपरांत औसत कृषि उत्पादकता (क्वि./हे.) . . . . . .
- उन्नत कृषि यंत्र एवं तकनीक का उपयेाग की स्थिति . . . . . .
- किसानों द्वारा उन्नत बीज का उपयोग की स्थिति . . . . . .
- किसानों द्वारा जैविक खेती को अपनाने की स्थिति . . . . . .
- उद्यानिकी विकास की स्थिति . . . . . .
- कृषि वानिकी विकास की स्थिति . . . . . .
- जैट्रोफा की खेती . . . . . .
- बायो–डीजल के प्रसंस्करण हेतु संयंत्र की स्थापना . . . . . .

- कृषि एवं वन विभाग के संयोजन से नर्सरी के विकास की स्थिति . . . . . .
- कृषि विभाग के संयोजन से प्रशिक्षण का आयोजन . . . . . .
- वन विभाग के संयोजन से प्रशिक्षण का आयोजन . . . . . .

इ. आर्थिक सांकेतक :

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या में कमी . . . . . .
- ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता की पूर्व स्थिति के संदर्भ में वर्तमान स्थिति . . . . . .
- परियोजना के अंतर्गत गाँवों के खेत के कृषि उत्पादन एवं कृषि पद्धति में आया मौसमवार परिवर्तन . . . . . .
- लाभान्वित ग्रामीणों के जीवनयापन के स्तर में आया परिवर्तन . . . . . .
- लाभान्वित ग्रामीणों के व्यक्तिगत बचत की स्थिति में आया परिवर्तन . . . . . .
- व्यक्तियों की संख्या एवं पलायन अवधि में आया परिवर्तन . . . . . .
- उपचारित कृषि एवं निस्तार भूमि की कीमतों में वृद्धि . . . . . .
- कृषि कार्यों में उन्नत तकनीकों जैसे पम्प, खाद, ट्रैक्टर, उन्नत बीज, ड्रिप एरीगेशन आदि के उपयोग की स्थिति . . . . . .
- जैट्रोफा के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि . . . . . .
- गाँव में बनने वाले पक्के मकानों में वृद्धि . . . . . .
- प्रति व्यक्ति विद्युत डीजल, पेट्रोल की खपत में वृद्धि . . . . . .
- स्व–सहायता समूहों के माध्यम से गैर कृषि गतिविधियों में आया परिवर्तन . . . . . .
- कृषि मंडियों में खाद्यान्न की बिक्री में वृद्धि . . . . . .
- प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या में वृद्धि . . . . . .
- घी, दूध, फल, सब्जी, मसाला आदि के स्थानीय उत्पादन एवं खपत में वृद्धि . . . . . .
- डेयरी विकास एवं दूध उत्पादन में बढ़ोतरी . . . . . .
- मछली उत्पादन में वृद्धि . . . . . .
- प्रति परिवार औसत आय एवं व्यय में परिवर्तन . . . . . .

Yearwise tentative list of indicators that would be covered under State Quality Monitoring

(स्टेट क्वालिटी मानीटरिंग प्रणाली हेतु सांकेतक)

Indicators for First Year

- Selection of Watersheds according to criteria laid down by Govt. of India, Dept. of Land Resources
- Appointment of Project Officer and Project Implementation Agency (PIA) Team
- Training of PIA
- Survey and Investigation for resource analysis and problem identification in selected Watersheds
- Identification of watershed development activities in selected Watersheds
    - Maximum coverage of community/Govt. land
    - Maximum coverage of SC/ST/OBC population
    - Priority for water conservation
- Formation of User Groups (UGs) for selected watershed development activities
- Formation of Self Help Groups (SHGs) for income generating activities
- Formation of Watershed Committee (WC) / Vistarit Pani Roko Samiti (VPRS)
- Appointment of WC Secretary / VPRS Chairman & Watershed Karmi
- Training of UG, SHG and WC / VPRS
- Preparation of action plan
    - Resource detail
    - Net Planning
    - Participatory Resource Appraisal (PRA)
    - Individual action plan including detailed drawing and design for the selected activities of each UG
    - Preparation of Activity Calender
    - Setting of Indicators for assessing impact of the programme
    - Present land use map
    - Detailed khasra map with demarcation of activities
    - Consolidated detail of selected activities with year-wise phasing
    - Approval of WC and Gram Sabha
- Bank account : Project Account & Development Account
- Approval of action plan

- Starting of implementation of watershed development activities as per action plan
- Opening and maintenance of necessary records
- Release of funds by Zila Panchayat to PIA and WC/ GP

Indicators for Second Year

- Corrective measures taken as per suggestion given in previous evaluation
- Training of UG, SHG and WC
- Implementation of watershed development activities as per action plan
- Quality of constructed structures as per technical specifications and utility to the community
- Activeness and participation of UGs, SHGs, WC
- Release of funds by Zila Panchayat to PIA and WC
- Regular monitoring of socio-economic, physical and financial progress
- Regular payment by WC
- Regular maintenance of records and registers
- Regular assistance given by PIA and their involvement

Indicators for third Year

- Corrective measures taken as per suggestion given in previous evaluation
- Completion of activity as per schedule
- Fund utilisation
- Level of community participation
- Impact on agriculture
- Impact on water resources
- Impact on soil erosion control
- Fodder availability
- Distribution and sharing of benefits
- Common property resource management
- Activeness and participation of UGs, SHGs, WC
- Release of funds by Zila Panchayat to PIA and WC
- Regular monitoring of socio-economic, physical and financial progress
- Regular payment by WC
- Regular maintenance of records and registers
- Involvement of PIA

Indicators for fourth Year

- Corrective measures taken as per suggestion given in previous evaluation

- Implementation of watershed development activities as per action plan
- Activeness and participation of UGs, SHGs, WC
- Release of funds by Zila Panchayat to PIA and WC
- Regular monitoring of socio-economic, physical and financial progress
- Regular payment by WC
- Regular maintenance of records and registers
- Regular assistance given by PIA and their involvement
- Resource inventory for impact assessment

Indicators for fifth Year

- Corrective measures taken as per suggestion given in previous evaluation
- Implementation of watershed development activities as per action plan
- Activeness and participation of UGs, SHGs, WC
- Release of funds by Zila Panchayat to PIA and WC
- Regular physical and financial progress
- Regular payment by WC
- Regular maintenance of records and registers
- Regular assistance given by PIA and their involvement
- Impact on agriculture
- Impact on soil erosion control
- Impact on water resources
- Impact on vegetation
- Community empowerment
- Economic impact
- Fund utilisation
- Distribution and sharing of benefits
- Common property resource management
- Records and accounts
- Impact on human resource development
- Impact on social parameters
- Arrangements for transfer for assets to community

Tentative checklist for State Quality Monitoring
(स्टेट क्वालिटी मानीटरिंग प्रणाली हेतु सांकेतक)

The evaluation exercise will access the degree to which watershed management interventions have :

(i) contributed to improved livelihood security, especially for the poor

(ii) succeeded in restoring and conserving degraded environments

(iii) progressed towards inculcating a sense of ownership among communities and

(iv) addressed equity concerns in planning, implementation, monitoring and evaluation of activities.

PIA Details

1. Name of the project officer :

2. No. of PIA members :

3. Details of PIA member:

Community Mobilisation Process

1. How was the initial rapport built with the villagers
2. Was there any specific input provided by the community, if yes what
3. How can the process of community mobilisation be improved

Project planning

1. When was watershed planning done
2. What were the tools of planning used
3. Who were involved in planning preparation
4. Did district level watershed committee / vistarit pani roko samiti made changes in the original plan. If yes, what
5. Did the process of planning involved villagers
6. Does the action plan specify the yearwise and project goals, outcomes and indicators
7. Does the action plan give adequate focus to women and landless
8. How was the side selection for different water harvesting structure done
9. How can the process of project planning be improved

Training

1. Where the skills / knowledge levels and training needs of the community accessed before hand, what were the key gaps accessed

2. In what areas was the training provided, by whom and what was the impact of training
3. How many people were trained
4. How were the trainee identified
5. Were there efforts to study and incorporate indigenous knowledge and practices in training
6. Did the training have inputs from University and Research Institutions, if yes what
7. Did the training include village specific resource issues
8. What were the key lessons learnt with respect to training
9. How can the process of training be improved

ECOLOGICAL

i. **WATER SUFFICIENCY**
ii. **AGRICULTURAL PRODUCTIVITY**
iii. **ECO RESTORATION**

1. To what extent has the watershed programme helped in mitigation the effect of drought as compared to the condition earlier?
2. How much has been the increase in ground water level as compared to pre project condition?
3. What is the survival percentage of plantation?
4. What is the percentage decrease in runoff?
5. What percent of private land has been treated under Watershed?
6. How much is the increase in pumping hours in
   - Kharif season
   - Rabi season
7. What has been the increase in the area under kharif cropping after the watershed programme?
8. What has been the increase in the area under Rabi cropping after the watershed programme?
9. How many crops were you able to take after WS Programme?
10. How much has been the increase in the agricultural productivity in Rabi season ?
11. How much has been the increase in the agricultural productivity in Kharif season
12. What has been the increase in the area under irrigation as compared to pre project condition?
13. Status of availability of irrigation water:
14. How much has the WS programme helped in reducing the problem of drinking water availability?
15. To what extent has the problem of transportation of water been solved? (Applied to area affected with this problem)

16. How much has been the increase in the level of water in the wells due to watershed activities?
17. How many wells have been constructed in your village?
18. How many water storage structures have been constructed in your village?
19. As a result of these structures, how much additional water storage capacity has been created as compared to the pre project condition?
20. How much has been the decrease in the wasteland as compared to the pre project condition?
21. How much does the local fodder production and plantation fulfill the needs of the people?
22. How do you rate the condition of soil fertility as a result of watershed activities?
23. To what extent do you feel that the water requirements were fulfilled through watershed activities?
24. According to you what percentage of the total area of the village has been treated?

SOCIAL AND INSTUTIONAL

i. **GROUP FORMATION**
ii. **GROUP DYNAMICS**
iii. **INVOLVEMENT OF COMMUNITY**
iv. **LEADERSHIP**
v. **COMMUNITY EMPOWERMENT / SOCIAL JUSTICE**
vi. **CAPACITY BUILDING**

1. How does the formation of village level institutions take place?
2. How frequently are the meetings held? SHG, UG, WC, VPRS
3. How many members on an average are present in the meetings?
4. How are the office bearers (President, Secretary) made?
5. How many members are there in Watershed committee?
6. How many women members are there in watershed committee?
7. Who nominates the members of the watershed Committee?
8. Where are the meetings held?
9. Are the minutes maintained for all the meetings?
10. Attendance of women in meetings?
11. How effective is the conflict resolution mechanism of the group?
12. Is there existence of norms of disciplinary action against defaulters and how effective are they?
13. How fair is the benefit sharing mechanism of the groups?
14. How effective do you think is the Watershed Committee in implementation of decisions taken?
15. Are you satisfied with the activities of the watershed committee?

16. Do you think the activities undertaken by watershed committee are in accordance with the objectives of the Mission?
17. How do you rate the participation of minorities in decision making process?
18. What is the level of representation of all sections of the community in village level institutions?
19. How is the composition of village level institution decided?
20. What is the level of participation and representation of BPL in the groups?
21. To what extent has the community and groups been able to get benefit from other schemes and departments as a result of watershed activities?
22. How often do the officials, facilitators visit your watershed?
23. To what extent do you think the Watershed committee has access to information (Orders, circulars, schemes etc)
24. How many times have individuals and groups been taken to other watersheds for exposure visits?
25. How many times have people from other villages come to visit your watershed to see and learn from your work?
26. Do you think this has benefited your village?
27. Apart from Govt. is there any other agency / organisation helping you in watershed works?
28. To what extent do you think the Watershed committee has been able to complete its work in time?
29. Do you think that only a few influential people have a say in the programme ? if yes then to what extent?
30. To what extent do you think that the views and opinions of all sections of the community have been taken in to account while deciding the activities and Action Plan of the watershed?
31. To what extent do you think all sections of the community have participated in the implementation of the watershed activities?
32. Do you think the benefits and gains of all sections was taken in to account in the formulation of the action plan?
33. Did the community ever take an initiative to contribute more than the prescribed amount to the Development? If yes than to what extent in terms of labour Cash?
34. Do you think the benefit sharing mechanism adopted for sharing common resources are fair?
35. What is the educational qualification of Office Bearers (President, Secretary)?
36. Of the total structures made how many of them were made by using local and indigenous knowledge of the community?
37. What is the change in the attitude of officials and staff of other departments (like FD, Agriculture etc.)?
38. According to you what percentage of the village population has benefited from this Programme?
39. Has there been any decline in incidences of liquor drinking, gambling as a result of the awareness brought about by this programme? If yes then to what extent?
40. What is the Increase in the level of awareness and education of the members

41. How much is the Increase in the awareness about health, hygiene and sanitation.
42. To what extent have people adapted techniques like Roof Water Harvesting in the construction of their houses?
43. How many SHG WTCG UG formed?
44. What is the duration of flow of water in the streams?
45. How much has been the reduction in the instances of free grazing?
46. How much is the acceptance of the community towards practices like rotational grazing & tall feeding?
47. What has been the effect of such practices on the health and milk production of the cattle?
48. What percentage of area under plantation, nursery, fodder development is protected through social fensing?
49. What is the percentage decrease in migration as a result of Watershed Activities?
50. How much do people contribute in watershed works?
51. To what extent has there been an improvement in the supply of agricultural inputs (like HYV seed, implements, fertilizers etc.) due to convergence with other schemes and Departments?
52. Out of the total tranings how many trainings have been carried out for skill development?
53. How many members have been trained

WOMEN EMPOWERMENT

1. Number of women members in the Watershed Committee?
2. Number of Watershed Committee having female Secretary or the President?
3. What is the Level of awareness among the women office bearers about their Roles and Responsibilities?
4. What is the attendance of women in Watershed Committee meetings including the women office bearers?
5. What is the level of participation of women in decision making in Watershed Committee?
6. What is the Percentage contribution of women in terms of "shram daan" in construction of watershed structures?
7. What is the Level of participation of women in the planning process?
8. What is the Extent up to which the women undergoing training use them practically in their life e.g. smokeless chullas, biogas chullas etc.
9. What is the Level of participation of women in conflict resolution?
10. What is the Amount of money saved in each Women Credit and Thrift Group?
11. What are the criteria in the minds of the women while electing or nominating their Secretary or President?
12. What is the Educational background of President and Secretary?
13. Existence of bank account of the WCTG.
14. How much loan WTCG SHG has taken?
15. What is the rate of repayment of loans?
16. How much is the savings made by WTCG

17. Who are the Signatories and operators of the bank account?
18. What is the conflict resolution mechanism within the WCTG?
19. What is the Level of effectiveness of the leaders of the group in resolving the conflicts and enforcing disciplinary action?
20. What is the Nature of contribution of member's i.e. fixed monthly contribution or it varies in different months.
21. What are the Traditional sources of credit operating in that area?
22. What is the frequency and regularity of the meetings conducted by WCTGs.
23. What is the Amount of money circulated by WCTG as loan?
24. What is the Interest rate charged by WTCG in comparison to that charged by local moneylenders?
25. What is the Loan repayment rate of WCTG?
26. What is the internal mechanism of the WCTG for dealing with Defaulters?
27. What is the Method of decision about the objectivity and genuinity of loan demand?
28. What is the Mode of entry of new members in to the WCTG?
29. What is the Provision of disciplinary action against members who do not contribute for more than six months?
30. What is the Nature of loans taken by the members of WCTGs i.e. loan for purchase of agricultural inputs, medical, household purpose.
31. How much is the ability of the WCTG in fulfilling the requirements of its members or do the members still have to go to the moneylenders for bigger loans?
32. What is the Amount of money saved by the members by taking loan from WCTG instead of moneylenders?
33. How much is the ability of the benefits accrued from WCTG in enabling its members in getting their assets mortgaged with local moneylenders released.
34. How much is the Increase in Assets of the members due to the benefits offered by WCTGs.
35. What is the Increase in the per capita income due to WCTGs.
36. What is the Increase in the level of awareness and education of the members?
37. How much is the Increase in the social status of the women members among the men folk and family members?
38. How much is Increase in the say of women in family decision?
39. How much is Increase in the political say of women?
40. How much is Increase in the buying power of the women?
41. What is the Number of Women Credit and Thrift Groups that have taken up income generating activities by setting up Micro enterprises.
42. What is the Number of Women Credit and Thrift group linked up with other schemes for starting Micro enterprises for income generation.

FINANCIAL

1. Do the groups (WC, SHG, WTCG, UG) have bank account?
2. Who maintains the account books and financial management of the group?
3. Do you think all monetary transactions are transparent?

4. Have the accounts being audited?
5. Do all the members have access to the account book?
6. Do you think the maintenance of accounts is transparent?
7. Do you think an optimum and efficient utilization of funds are carried out?
8. Do you think the funds that are made available to you are adequate?
9. To what extent do you think the funds made available to you were timely?
10. Are you aware of all the account Books that should be maintained?

ECONOMIC

1. How many groups have been involved in income generating activities?
2. How much loan has been taken for starting Income Generating Activities?
3. What is the rate of repayment of loans?
4. How much is the savings made by Groups?
5. Amount deposited in the bank AC of SHG WTCG?
6. Do the products produced by SHGs get proper market?
7. Has there has been a change in the attitude of Bank Officials?
8. Do you know of any instance when Bank has provided loan for carrying out watershed activities on private farm?
9. To what extent has the Watershed activities helped in increasing access to financial services?
10. To what extent were the landless provided with stable income generating sources and opportunities?
11. How much is the increase in the expenditure on cultural activities?
12. To what extent has the village infrastructure (school, temple, shops etc) developed?
13. Extent to which transactions in secondary and primary markets have increased?
14. What is the increase in consumption pattern (Ghee, Honey, fruits, Vegetables etc.) of the people?
15. How many man-days of employment are generated through Watershed activities on an average in a year?
16. What percentage of BPL families of the village have benefited from watershed activities in terms stable income generating sources and opportunities?
17. Did this Programme have any effect on wage rate of the labourers?
18. What Percentage of income do people save as compares to what they used to save earlier?
19. To what extent has there been an increase in the income of the Panchayat due to Watershed activities?
20. To what extent has there been an increase in the consumption of electricity, diesel, petro etc. in the village?
21. To what extent has there been an increase in non-farm activities in the village?
22. What is the increase in the transaction in local haats and mandies?
23. What is the increase in the no. of Tractors, Threshers, Processing units etc in the village?

24. How many new vehicles have been bought in the village like Motorcycle, Cycle, Tractor, and bullock cart?
25. How much is the increase in the production of Milk, Fish, Fruits, Flowers, Vegetables, Medicinal Plants, NTFP?
26. How much is the reduction in the incidences of migration to urban areas for employment?
27. Present per capita income of the people as compared to pre project condition?
28. Increased availability of sources of loan for starting up income generating activity?
29. Number of Banks operating in that area?

SUSTAINABILITY

1. Do you think that even when there is no support from Govt. / NGO / Organisations / Departments the Watershed committees will be able to carry out its work with the same efficiency it is carrying out now?
2. Do you think that after Govt. withdraws the community will be able to carry out the maintenance of assets Created?
3. To what extent do you have a sense of ownership for the assets created?
4. Do you think the groups are strong enough to fight against any negative forces?
5. Now that the community is aware of the benefits of watershed activities do you think it can carry out the watershed activities even without external funds and support?